2025: CGHC: 52761

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6965, वर्ष 2018
आदेश सुरक्षित करने की तिथि: 26.08.2025
आदेश पारित करने की तिथि: 29.10.2025

1 – अजय कुमार बाजपेई, पिता श्री नंदन प्रसाद बाजपेई, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी F/1 जेल बंगला, जेल परिसर, केंद्रीय जेल बिलासपुर, सिविल एवं राजस्व जिला– बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. गोवर्धन सिंह शोरी, पदस्थ जेल अधीक्षक, जिला जेल दंतेवाड़ा, जिला– दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से:	श्री एस. सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में श्री गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से:	श्री आशुतोष शुक्ला, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से:	श्री रवि कुमार भगत, अधिवक्ता।

---

1. प्रस्तुत रिट याचिका दिनांक 11.09.2018 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को मस्तिष्क का उचित प्रयोग किए बिना सरसरी तौर पर यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता के दावे का निस्तारण पूर्व में ही दिनांक 28.03.2017 के एक सकारण आदेश द्वारा किया जा चुका है। ऐसा करते समय, उत्तरवादी क्रमांक 1 याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पश्चातवर्ती तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करने में विफल रहा है। आक्षेपित आदेश बिना कारण बताये पारित किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उठाए गए आधारों, विशेष रूप से पदक्रम सूची में उचित स्थान प्राप्त करने के दावे के संबंध में किसी भी विचार को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता निम्नलिखित उपचारों की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय की शरण लेने हेतु विवश हुआ है:

> "10.1 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया दिनांक 11.09.2018 के आक्षेपित आदेश को अपास्त/निरस्त करने की कृपा करे और उत्तरवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को पदक्रम सूची में उत्तरवादी क्रमांक 3 से

ऊपर रखने तथा विधि के अनुसार सभी पारिणामिक लाभ प्रदान करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करे।

10.2 यह कि, कोई अन्य उपचार/आदेश जो प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो, जिसमें याचिका का व्यय दिलाना भी सम्मिलित है, प्रदान किया जावे।"

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता का चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से विधिवत किया गया था। दिनांक 04.11.1993 को प्रारंभिक रूप से घोषित परिणाम में याचिकाकर्ता का नाम प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 5 पर अंकित था। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है और उसका नाम उसी सूची में क्रमांक 27 पर था। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त सूची में क्रमांक 25 तक के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के थे, जबकि क्रमांक 26 से आगे के अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणियों के थे। सामान्य श्रेणी के एक अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण और उन कारणों से जो विभाग को ही ज्ञात हैं, याचिकाकर्ता को दिनांक 03.08.1995 को औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किया गया, जिससे वह पद पर कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम हुआ। याचिकाकर्ता को पश्चातवर्ती रूप में, दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 की अवधि की पदक्रम सूची की प्रति प्राप्त होने पर यह ज्ञात हुआ कि उसका नाम उत्तरवादी क्रमांक 3 के नीचे रखा गया है। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने पदक्रम सूची में अपनी स्थिति के सुधार हेतु दिनांक 08.04.2011 को तत्काल एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई परिवेदना के परिशीलन के उपरांत, संबंधित विभाग ने दिनांक 23.06.2011 को याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को मध्य प्रदेश सरकार को इस विशिष्ट अनुरोध के साथ अग्रेषित किया कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता का निर्धारण विधि के अनुसार किया जाए, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि याचिकाकर्ता का चयन सामान्य श्रेणी के अंतर्गत हुआ था, और सुस्थापित विधि के अनुसार, उच्च योग्यता वाला सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी से ऊपर वरिष्ठता का हकदार होता है। उपरोक्त के बावजूद, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई सारवान कार्रवाई नहीं की गई।

परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 से ऊपर स्थान पाने के अपने दावे को दोहराते हुए दिनांक 05.10.2011 को पुनः एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, दिनांक 24.10.2011 को राज्य सरकार को एक औपचारिक अनुस्मारक जारी किया गया। फरवरी 2012 में, पुलिस महानिदेशक ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को इस भ्रामक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता की मेरिट स्थिति और प्राप्तांक अभ्यावेदन के साथ संलग्न नहीं थे, और इस प्रकार यह निर्धारित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि क्या याचिकाकर्ता ने शंभू लाल नायक से अधिक अंक प्राप्त किए थे, जिसे पदक्रम सूची में उत्तरवादी क्रमांक 3 के ठीक ऊपर रखा गया था। फलस्वरूप, उत्तरवादी क्रमांक 3 से ऊपर वरिष्ठता के याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया गया। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शंभू लाल नायक को बाद में एक विभागीय जाँच का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पद अवनति की शास्ति अधिरोपित की गई। तदोपरांत, उत्तरवादी क्रमांक 3 को पदक्रम सूची में उस स्थान पर रखा गया जो पूर्व में शंभू लाल नायक के पास था।

दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव के आधार पर अपने दावे की पूर्ववर्ती अस्वीकृति के आलोक में, याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष 1993 में आयोजित उक्त परीक्षा में उसके द्वारा और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रकटीकरण की मांग की गई। सूचना के अधिकार आवेदन के अनुसरण में, संबंधित प्राधिकारी ने जानकारी प्रदान की जिससे यह दर्शित हुआ कि याचिकाकर्ता ने 1278 अंक प्राप्त किए थे, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने केवल 1091 अंक प्राप्त किए थे, जिससे याचिकाकर्ता की श्रेष्ठ मेरिट स्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई। उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने पदक्रम सूची में उत्तरवादी क्रमांक 3 से ऊपर स्थान पाने के अपने वैधानिक दावे पर बल देते हुए पुनः दिनांक 21.11.2014 और 19.06.2015 को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। तथापि, संबंधित अधिकारियों द्वारा इन अभ्यावेदनों के उत्तर में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तरवादीगण की ओर से निरंतर बनी रही इस निष्क्रियता के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता अपनी परिवेदना के निवारण हेतु रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4203/2016 प्रस्तुत करके इस न्यायालय की शरण लेने हेतु विवश हुआ। उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का अंततः उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2017 के माध्यम से निस्तारण किया गया। हालांकि, उक्त आदेश में याचिकाकर्ता के दावे को पुनः यह त्रुटिपूर्ण तर्क देते हुए खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता का चयन पूरक सूची से हुआ था जबकि उत्तरवादी क्रमांक 3 का चयन मुख्य सूची से हुआ था, और इसलिए याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 3 से ऊपर वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती। जब दिनांक 15.06.2017 को रिट याचिका सुनवाई के लिए आई, तब इस न्यायालय ने दिनांक 28.03.2017 के आदेश का संज्ञान लिया और याचिकाकर्ता को पश्चातवर्ती आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, याचिका को निष्प्रभावी होने के रूप में खारिज कर दिया। प्रदान की गई उक्त स्वतंत्रता के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक 1 के समक्ष एक नया और विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह रेखांकित किया गया कि वरिष्ठता का निर्धारण मेरिट के आधार पर होना चाहिए न कि चयन सूची के वर्गीकरण के आधार पर, और यह दोहराया कि याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 से अधिक अंक प्राप्त किए होने के कारण, वह पदक्रम सूची में उससे ऊपर रखे जाने का विधिक रूप से हकदार है। अत्यंत स्तब्धता और निराशा का विषय है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने आक्षेपित आदेश दिनांक 11.09.2018 के माध्यम से, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को पूर्णतः यंत्रवत और सतही ढंग से यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस विषय का निर्णय पूर्व में ही दिनांक 28.03.2017 के सकारण आदेश द्वारा किया जा चुका है।आक्षेपित आदेश किसी भी स्वतंत्र तर्क या पश्चातवर्ती तथ्यों, दस्तावेजों, या याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों, जिसमें उच्च अंकों के दस्तावेजी साक्ष्य भी सम्मिलित हैं, के विचारण से रहित है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश बिना कारण बताये पारित किया गया है और प्रशासनिक निष्पक्षता के न्यूनतम मानकों को पूरा करने में विफल रहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि श्रेष्ठ मेरिट के स्पष्ट साक्ष्य के बावजूद, पदक्रम सूची में याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 3 से ऊपर उचित स्थान देने से उत्तरवादीगण का इनकार करने संबंधी आक्षेपित कृत्य मनमाना, अवैध, भेदभावपूर्ण और मस्तिष्क के प्रयोग न किए जाने से ग्रस्त है। याचिकाकर्ता के दावे को दिनांक 11.09.2018 के बिना कारण बताये पारित किया गए आदेश द्वारा खारिज किया जाना, जो केवल दिनांक 28.03.2017 की पूर्ववर्ती अस्वीकृति का संदर्भ देता है, तर्क के पूर्ण अभाव को दर्शाता है और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघनकारी है। यह सुस्थापित विधि है कि राज्य की मनमानी कार्रवाई समानता की गारंटियों के विपरीत है। चुनौतीपूर्ण आदेश प्रासंगिक तथ्यों के किसी भी विश्लेषण या शासी सेवा नियमों, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 (इसके बाद "1961 नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 12(1)(a) के प्रयोग से रहित है, जो स्पष्ट रूप से यह अधिदेशित करता है कि सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उस मेरिट क्रम के आधार पर निर्धारित की जाएगी जिसमें उनकी अनुशंसा की गई है, चाहे उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि कुछ भी हो। याचिकाकर्ता का चयन वर्ष 1992 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उसी परीक्षा के माध्यम से किया गया था, और उसने 1278 अंक प्राप्त किए थे, जबकि निजी उत्तरवादी क्रमांक 3, जो एक आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, ने केवल 1091 अंक प्राप्त किए थे। याचिकाकर्ता, यद्यपि अनारक्षित श्रेणी में प्रतीक्षा सूची से नियुक्त हुआ था, फिर भी विधि के अनुसार वह एक सीधी भर्ती का अभ्यर्थी है, और मेरिट सूची में उसकी

स्थिति उच्च होने के कारण वह कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से ऊपर वरिष्ठता का हकदार है, चाहे वह मुख्य सूची (main list) से हो या पूरक सूची से। 1961 के नियमों का नियम 12(1)(a) इस संबंध में सुस्पष्ट है कि वरिष्ठता का निर्धारण केवल उस मेरिट क्रम के आधार पर किया जाना है जिसमें अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। इसमें मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है, बशर्ते कि दोनों की अनुशंसा उसी परीक्षा के माध्यम से की गई हो, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में है। उत्तरवादीगण द्वारा वैधानिक मेरिट मानदंडों के ऊपर प्रशासनिक वर्गीकरण को वरीयता देने का कृत्य विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है। प्रतीक्षा सूची की अवधारणा ही मुख्य सूची के अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्तियों को भरने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र है। हालांकि, एक बार जब प्रतीक्षा सूची से किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति हो जाती है और सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक उपलब्ध होते हैं, तो वरिष्ठता अनिवार्य रूप से मेरिट के नियम के अनुसार होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों के माध्यम से नियम 12(1)(a) की सही व्याख्या की पुष्टि की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को, यदि उसके अंक अधिक हैं, तो मुख्य सूची के कम अंक वाले अभ्यर्थियों से ऊपर रखा जाना चाहिए। सक्षम राज्य अधिकारियों द्वारा नियम और सुस्थापित विधि के अनुरूप की गई यह व्याख्या, इसके विपरीत किसी भी प्रशासनिक निर्णय की गुंजाइश नहीं छोड़ती है। याचिकाकर्ता को पदक्रम सूची में अपने गलत स्थान के बारे में पहली बार वर्ष 2009 में पता चला। तत्पश्चात, उसने वर्ष 2011 में तत्काल एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। साक्ष्यों के अभाव में अस्वीकृति होने पर, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2012 में सूचना के अधिका के माध्यम से प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त किए, जिससे पहली बार स्पष्ट रूप से यह स्थापित हुआ कि उसने निजी उत्तरवादी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने वर्ष 2014 और 2015 में नए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिसका समापन दिनांक 11.09.2018 की आक्षेपित अस्वीकृति में हुआ। प्रत्येक पदक्रम सूची, जो याचिकाकर्ता को निजी उत्तरवादी क्रमांक 3 के नीचे गलत तरीके से रखती है, एक अवैधता को निरंतर बनाए रखती है और याचिकाकर्ता को आवर्ती प्रतिकूल प्रभाव पहुँचाती है। केवल समय बीतने से इस अवैधता का उपचार नहीं हो जाता। पदोन्नति, वेतन निर्धारण और करियर की उन्नति, ये सभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर. रंजीत सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य [2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1009] में निर्विवाद रूप से यह निर्धारित किया है कि वरिष्ठता का निर्धारण केवल अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना चाहिए, और इस मानदंड से कोई भी विचलन अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि सार्वजनिक सेवा में वरिष्ठता का निर्धारण मनमाने ढंग से या प्रशासनिक समीचीनता के आधार पर नहीं किया जा सकता, जब एक वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से 'मेरिट' को एकमात्र मानदंड के रूप में निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, **मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 1999 की धारा 69** के तहत, नियुक्त दिन से पहले (अर्थात राज्य के विभाजन से पूर्व) लागू सेवा की शर्तों को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी कर्मचारी के अहित में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता के प्रतिकूल नियम 12(1)(a) से कोई भी विचलन सीधे तौर पर इस वैधानिक संरक्षण का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता आगे निवेदन करता है कि वह वरिष्टता , वेतन निर्धारण, पदोन्नति और सभी सेवा–संबंधी लाभों सहित उन सभी पारिणामिक लाभों का हकदार है, जो उसे उस तिथि से प्राप्त होते जब नियमों के सही प्रयोग के माध्यम से उसकी वरिष्ठता निर्धारित की गई होती। यह एक स्पष्ट मामला है जहाँ याचिकाकर्ता के वैधानिक अधिकारों को एक मनमाने और यंत्रवत रूप से पारित आदेश द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। जब नियम स्पष्ट है और तथ्य निर्विवाद हैं, विशेष रूप से याचिकाकर्ता की उच्च मेरिट, तो उसे निजी उत्तरवादी क्रमांक 3 के नीचे रखने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त तर्कों के दृष्टिगत, यह प्रार्थना की जाती है कि दिनांक 11.09.2018 का आक्षेपित आदेश, जो कि बिना कारण बताये पारित किया गया है, तर्कहीन, मनमाना और अवैध है, इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता अर्हता परीक्षा में अपनी श्रेष्ठ मेरिट के आधार पर पदक्रम सूची में निजी उत्तरवादी क्रमांक 3 से ऊपर रखे जाने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विद्वान राज्य अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों का विरोध करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका, जिस रूप में तैयार और प्रस्तुत की गई है, सारहीन और योग्यता विहीन है, और इसलिए इसे प्रारंभिक स्तर पर खारिज किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसने उत्तरवादी क्रमांक 3 से अधिक अंक प्राप्त किए थे और इसलिए उसे वरिष्टता / पदक्रम सूची में उससे ऊपर रखा जाना चाहिए था, पूर्णतः गलत धारणा पर आधारित, निराधार और विधि की दृष्टि में अपोषणीय है। उक्त दावा संबंधित सेवा नियमों के तहत वरिष्ठता को शासित करने वाली विधिक और तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करने में विफल रहता है। यह आगे निवेदन किया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है और उसकी नियुक्ति मुख्य चयन सूची के माध्यम से हुई थी, जबकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति सामान्य श्रेणी में प्रतीक्षा सूची से की गई थी। कानून की सुस्थापित स्थिति और लागू नियमों, अर्थात् नियम, 1961 के नियम 12(1)(a) के अनुसार, सीधे नियुक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता उस मेरिट क्रम के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें उनकी नियुक्ति के लिए

अनुशंसा की गई है, चाहे उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि कुछ भी हो। इसके अलावा, यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि पूर्ववर्ती चयन प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवार बाद में चयनित उम्मीदवारों से वरिष्ठ होंगे। इसलिए, पदक्रम सूची में याचिकाकर्ता का नाम उत्तरवादी क्रमांक 3 के नीचे सही ढंग से रखा गया है, और यह वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अत्यधिक विलंब के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वरिष्ठता से संबंधित किसी भी दावे को एक युक्तिसंगत समय के भीतर, सामान्यतः 3–4 वर्षों के भीतर उठाया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता दो दशकों से अधिक समय तक मौन रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 1998 से जारी सभी पदक्रम सूचियों में उत्तरवादी क्रमांक 3 को निरंतर उससे वरिष्ठ दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता ने उचित समय पर इन पदक्रम सूचियों को न तो चुनौती दी और न ही उन पर कोई आपत्ति उठाई। दिनांक 01/04/1998 की स्थिति के अनुसार पदक्रम सूची में, याचिकाकर्ता क्रम संख्या 142 पर अंकित है, और उत्तरवादी क्रमांक 3 क्रम संख्या 129 पर है। इस सूची ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और 20 वर्षों से अधिक समय तक इसे चुनौती नहीं दी गई है। यह निवेदन करना प्रासंगिक है कि राज्य के पुनर्गठन और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, समय–समय पर नई पदक्रम सूचियाँ जारी की गईं। इनमें से प्रत्येक सूची में, याचिकाकर्ता को निरंतर उत्तरवादी क्रमांक 3 के नीचे रखा गया है। याचिकाकर्ता ने अब अत्यधिक और अस्पष्टीकृत विलंब के बाद स्थापित वरिष्ठता की स्थिति को चुनौती देने का प्रयास किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक निर्णयों की एक श्रृंखला में निरंतर यह अवधारित किया है कि 'विलंब और शिथिलता' रिट अधिकारिता में अनुतोष देने से इनकार करने के वैध आधार हैं। अतः, याचिकाकर्ता का यह विलंबित दावा 'विलंब और शिथिलता' से ग्रस्त है और केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया गया है कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने पदक्रम सूची में अपनी स्थिति सुधारने और पारिणामिक पदोन्नति की मांग करते हुए दिनांक 11/12/2020 को महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, रायपुर के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता के सेवा अभिलेख और पूर्ववर्ती अभ्यावेदनों के सम्यक विचार और परीक्षण के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24/02/2021 के पत्र के माध्यम से उक्त अभ्यावेदन को उचित रूप से खारिज कर दिया गया। उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि याचिकाकर्ता को राज्य सेवा परीक्षा, 1992 में सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची से दिनांक 03/08/1995 को नियुक्त किया गया था, और स्थापित मानदंडों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों की वरिष्ठता मुख्य सूची के सभी उम्मीदवारों (आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों सहित) के बाद निर्धारित की जानी चाहिए। जेल मुख्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल ने भी इससे पूर्व

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 03/03/2017 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता के इसी तरह के दावे को खारिज कर दिया था। उपरोक्त निवेदनों के आलोक में, यह दोहराया जाता है कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता का निर्धारण पूर्णतः संबंधित सेवा नियमों और न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। उत्तरवादीगण की कार्रवाई में कोई अवैधता, मनमानापन या विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। यह रिट याचिका अत्यधिक विलंब से ग्रस्त है, इसमें कोई सार या मेरिट नहीं है, और इसे व्यय सहित खारिज किया जाना चाहिए। अतः यह प्रार्थना की जाती है कि न्याय के हित में यह माननीय न्यायालय इस रिट याचिका को खारिज करने की कृपा करे।

6. उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान राज्य अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका पूर्णतः गलत धारणा पर आधारित, अत्यधिक विलंबित और किसी भी सार से रहित है। याचिकाकर्ता सहायक जेलर के पद हेतु वरिष्ठता सूची में स्वयं को उत्तरवादी क्रमांक 3 के नीचे रखे जाने की विभागीय कार्रवाई को चुनौती देता है। हालांकि, उक्त चुनौती विधि और तथ्यों के आधार पर मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्रतीक्षा सूची से हुई थी, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 3 मुख्य मेरिट सूची में चयनित हुआ था और उसकी नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण बहुत पहले हो चुका था। यह निवेदन किया गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1992 में सहायक जेलर के 42 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया था, जिनमें से 25 पद सामान्य श्रेणी के लिए और 17 पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए थे। भर्ती प्रक्रिया संपन्न करने के उपरांत, दिनांक 04.11.1993 को एक मेरिट सूची प्रकाशित की गई, जिसके बाद 10 अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची जारी की गई। उत्तरवादी क्रमांक 3 मेरिट सूची (एसटी श्रेणी) में क्रम संख्या 27 पर था, जबकि याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 5 पर था। उत्तरवादी क्रमांक 3 को दिनांक 06.05.1994 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया और उसने 28.05.1994 को केंद्रीय जेल, रायपुर में अपना कार्यभार ग्रहण किया। दूसरी ओर, एक अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने के कारण सामान्य श्रेणी में एक रिक्ति उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को केवल 03.08.1995 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया और उसने बाद में 30.08.1995 को कार्यभार ग्रहण किया। दोनों नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट रूप से यह शर्त अधिरोपित थी कि वरिष्ठता लोक सेवा आयोग से प्राप्त मेरिट सूची के अनुसार निर्धारित की जाएगी। नियम, 1961 के नियम 12(1)(a) के अनुसार, सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मेरिट क्रम से निर्धारित होती है, चाहे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि कुछ भी हो। यह आगे प्रावधानित करता है कि पूर्ववर्ती चयन के अनुसरण में नियुक्त उम्मीदवार पश्चातवर्ती चयनों के माध्यम से नियुक्त उम्मीदवारों से वरिष्ठ माने जाएंगे। अतः,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चूंकि उत्तरवादी क्रमांक 3 का चयन मुख्य सूची में हुआ था और उसकी नियुक्ति पहले हुई थी, उसे याचिकाकर्ता से वरिष्ठ रखा जाना पूर्णतः उचित है, जिसकी नियुक्ति बाद में प्रतीक्षा सूची से हुई थी। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 के नीचे वरिष्ठता सूची में अपने स्थान को स्वीकार किया और 15 वर्षों से अधिक समय तक पूर्णतः मौन रहा। यह वर्ष 2011 में पहली बार था जब उसने अपनी वरिष्ठता के संबंध में परिवेदना उठाई, जिसे विभाग द्वारा दिनांक 23.02.2012 के आदेश के माध्यम से उचित रूप से खारिज कर दिया गया और पुनः दिनांक 28.03.2017 को इसकी पुष्टि की गई। याचिकाकर्ता का यह विलंबित दावा 'शिथिलता और उपमत/मौन स्वीकृति के सिद्धांत' से बाधित है। उत्तरवादी क्रमांक 3 को याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी परिवेदना उठाए जाने से बहुत पहले, दिनांक 06.08.2009 को जेलर के पद पर पदोन्नत किया गया था। अतः पदोन्नति के पश्चात वरिष्ठता सूची में कोई भी परिवर्तन विधिक रूप से अनुज्ञेय नहीं है, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता स्वयं भी पदोन्नत हो चुका है और उसने अपनी पदोन्नति या प्रक्रिया को कभी चुनौती नहीं दी है। याचिकाकर्ता ने चयनात्मक रूप से केवल उत्तरवादी क्रमांक 3 को ही प्रतिपक्षी उत्तरवादी के रूप में पक्षकार बनाया है, जबकि दिनांक 04.11.1993 को प्रकाशित मेरिट सूची के 15 अन्य अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जानबूझकर छोड़ दिया है, जिनके विरुद्ध वह अनिवार्य रूप से वरिष्ठता चाहता है। यह सारवान तथ्यों को छिपाने के समान है और आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण याचिका को खारिज करने योग्य बनाता है। याचिकाकर्ता सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त एक दस्तावेज (अनुलग्नक पी/10) पर भरोसा करता है, जो कथित तौर पर साक्षात्कार के अंक दर्शाता है। हालांकि, इस दस्तावेज में किसी भी आधिकारिक मुहर, कवरिंग लेटर या सूचना के अधिकार प्राधिकारी से सत्यापन का अभाव है और यह स्व–निर्मित प्रतीत होता है। आधिकारिक अभिलेखों में हेरफेर न्यायिक उपचार प्राप्त करने का आधार नहीं हो सकता। वर्तमान प्रकरण में उठाए गए विषय राजेंद्र कुमार वर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य (रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 12845/2022, दिनांक 18.12.2023) में पहले ही तय किए जा चुके हैं, जिसमें माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार मुख्य मेरिट सूची में चयनित उम्मीदवारों पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते, और न ही वे सेवा में प्रवेश की तिथि से पूर्व की तिथि से भूतलक्षी वरिष्ठता की मांग कर सकते हैं। संपूर्ण रिट याचिका इस गलत धारणा पर आधारित है कि याचिकाकर्ता, जिसकी नियुक्ति मूल चयन के एक वर्ष से अधिक समय बाद प्रतीक्षा सूची से हुई थी, नियमित रूप से चयनित उम्मीदवारों से ऊपर रखे जाने का हकदार है। यह दावा सेवा नियमों, सुस्थापित विधि और प्रशासनिक परंपरा के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1993 की मेरिट सूची में संशोधन और दो दशकों के बाद वरिष्ठता के पुनरीक्षण की मांग करना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूर्णतः अपोषणीय है। सक्षम प्राधिकारियों ने मेरिट सूची और लागू नियमों पर सम्यक विचार करने के पश्चात याचिकाकर्ता के दावों को बार–बार खारिज किया है। वर्ष 2018 में वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत करने तक याचिकाकर्ता ने पदक्रम सूचियों को कभी चुनौती नहीं दी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पवन प्रताप सिंह व अन्य बनाम रीवन सिंह व अन्य, (2011) 3 एस सी सी 267 में सुस्थापित किया गया है और पुनः अमित सिंह बनाम रविंद्र नाथ पांडे (C.A. No. 8324–8327/2022) में दोहराया गया है कि वरिष्ठता का दावा उस तिथि से नहीं किया जा सकता जब उम्मीदवार का कैडर में जन्म भी नहीं हुआ था, और भूतलक्षी वरिष्ठता केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुज्ञेय है, जो वर्तमान प्रकरण में अनुपस्थित हैं। उपरोक्त के आलोक में, यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई भी आधार बनाने में विफल रहा है। वरिष्ठता को दी गई चुनौती विलंब से ग्रस्त है, स्थापित नियमों द्वारा वर्जित है और न्यायिक मिसालों के विपरीत है। उत्तरवादी क्रमांक 3 को विधि के अनुसार वरिष्ठता सूची में सही ढंग से रखा गया है और उसे वर्ष 2009 में पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है। याचिकाकर्ता द्वारा इस विलंबित अवस्था में दी गई चुनौती न केवल मेरिट विहीन है बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी है और इसे व्यय सहित खारिज किया जाना चाहिए। अतः यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय रिट याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की कृपा करे और यह अवधारित करे कि उत्तरवादी क्रमांक 3 की वरिष्ठता विधिक, वैध और नियमों के अनुरूप है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी परिशीलन किया है।

8. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 11.09.2018 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता के वरिष्ठता /पदक्रम सूची में स्थिति सुधारने संबंधी अभ्यावेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उक्त विषय का निस्तारण पूर्व में ही दिनांक 28.03.2017 के सकारण आदेश द्वारा किया जा चुका है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश बिना कारण बताये पारित किया गया है, मनमाना है और वर्ष 1992 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में प्राप्त उसके उच्च अंकों सहित प्रासंगिक दस्तावेजों और तथ्यों पर उचित विचार किए बिना पारित किया गया है। मुख्य रूप से यह उपचार चाहा गया है कि उच्च मेरिट के कारण याचिकाकर्ता को वरिष्ठता सूची में उत्तरवादी क्रमांक 3 से ऊपर रखा जाए।

9. अभिलेख पर प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजों के परिशीलन के उपरांत, जो तथ्य निर्विवाद रूप से उभरते हैं वे यह हैं कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 3, दोनों का चयन सहायक

जेलर के पद हेतु MPPSC द्वारा आयोजित एक ही चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। उत्तरवादी क्रमांक 3, जो कि एक अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी है, का चयन आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत मुख्य सूची से हुआ था और उसे आदेश दिनांक 06.05.1994 के माध्यम से नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता, जो एक सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी है, प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 5 पर था और उसे एक अन्य सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण बाद में आदेश दिनांक 03.08.1995 के माध्यम से नियुक्त किया गया था। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने 1091 अंक प्राप्त किए थे और उसे मुख्य एसटी (ST) सूची में क्रम संख्या 3 पर रखा गया था, जबकि याचिकाकर्ता ने 1278 अंक प्राप्त किए थे, परंतु सामान्य श्रेणी के उच्च कट–ऑफ के कारण वह मुख्य सूची में स्थान नहीं पा सका था। पदक्रम सूची में गलत स्थान के संबंध में परिवेदना पहली बार वर्ष 2011 में उठाई गई थी और वर्तमान याचिका वर्ष 2018 में प्रस्तुत होने तक विभिन्न अभ्यावेदनों और कार्यवाहियों के माध्यम से निरंतर जारी रही।

10. वर्तमान प्रकरण में वरिष्ठता का निर्धारण नियम, 1961 के नियम 12(1)(a) पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार है:

> "नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता उस मेरिट क्रम के आधार पर निर्धारित की जाएगी जिसमें उनकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई है, चाहे उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि कुछ भी हो।
>
> पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति, पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होगा।"

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. नियम के स्पष्ट पठन से यह स्पष्ट है कि वरिष्ठता का निर्धारण संबंधित सूची, अर्थात् मुख्य सूची या प्रतीक्षा सूची, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है, में मेरिट क्रम के आधार पर किया जाना है। महत्वपूर्ण रूप से, नियम विभिन्न श्रेणियों (सामान्य/एसटी) के तहत चयनित उम्मीदवारों के बीच या मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के बीच मेरिट की पारस्परिक तुलना का प्रावधान तब तक नहीं करता जब तक कि वे समान विचार वाली एक सामान्य सूची का हिस्सा न हों। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि उसने उत्तरवादी क्रमांक 3 से अधिक अंक प्राप्त किए थे और इसलिए वह उससे ऊपर वरिष्ठता का हकदार है, एक महत्वपूर्ण विधिक अंतर की अनदेखी करता है। यद्यपि यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने उच्च अंक प्राप्त किए थे, परंतु यह भी समान रूप से स्वीकार किया गया है कि उसे सामान्य श्रेणी के

उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची में रखा गया था, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 3 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों की मुख्य सूची में था। उनका चयन अलग–अलग श्रेणियों के अंतर्गत, अलग–अलग मेरिट सीमाओं के साथ हुआ था। इस प्रकार, चयन पारस्परिक नहीं बल्कि श्रेणी के भीतर था। 1961 के नियमों के तहत, मेरिट का तात्पर्य चयन की संबंधित श्रेणी के भीतर अनुशंसा के क्रम से है। प्रतीक्षा सूची से की गई अनुशंसा मुख्य सूची से की गई अनुशंसा के समतुल्य नहीं है, जब तक कि नियम, परिपत्र या किसी बाध्यकारी प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से ऐसा न कहा गया हो।

12. उच्चतम न्यायालय ने **पवन प्रताप सिंह (पूर्वोक्त)** में यह अवधारित किया है कि प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार द्वारा भूतलक्षी वरिष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे मूल चयन का हिस्सा नहीं होते हैं और रिक्ति उत्पन्न होने पर ही नियुक्त किए जाते हैं। प्रासंगिक कंडिका निम्नानुसार उद्धृत है:

> "45. उपरोक्त से, सेवा में वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में विधिक स्थिति को निम्नानुसार संक्षिप्त किया जा सकता है:
>
> (i) चयन की प्रभावी तिथि को उन सेवा नियमों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिनके तहत नियुक्ति की जाती है। इसका अर्थ वह तिथि हो सकती है जिस पर विज्ञापन जारी होने के साथ चयन की प्रक्रिया शुरू होती है या चयन सूची तैयार करने का तथ्य, जैसा भी मामला हो।
>
> (ii) किसी विशेष सेवा में पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण सेवा नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। किसी विशेष सेवा में प्रवेश की तिथि या अधिष्ठायी नियुक्ति की तिथि, एक अधिकारी या दूसरे के बीच या विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए अधिकारियों के एक समूह और दूसरे के बीच पारस्परिक वरिष्ठता तय करने के लिए सबसे सुरक्षित मानदंड है। वैधानिक नियमों, कार्यकारी निर्देशों या अन्यथा इससे कोई भी विचलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
>
> (iii) सामान्यतः, पिछली तिथि से काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती है और यदि ऐसा किया जाता है, तो यह वस्तुनिष्ठ विचारों और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वैध वर्गीकरण पर आधारित होनी चाहिए तथा वैधानिक नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।

(iv) वरिष्ठता की गणना रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि से नहीं की जा सकती है और इसे भूतलक्षी प्रभाव से तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संबंधित सेवा नियमों द्वारा ऐसा स्पष्ट रूप से प्रावधानित न किया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वरिष्ठता भूतलक्षी आधार पर नहीं दी जा सकती जब कोई कर्मचारी संवर्ग में पैदा ही नहीं हुआ (अर्थात नियुक्त नहीं हुआ) हो और ऐसा करने से उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया है।"

13. यह आगे एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति केवल 03.08.1995 को हुई थी, जो उत्तरवादी क्रमांक 3 की 06.05.1994 को हुई नियुक्ति के एक वर्ष से भी अधिक समय बाद है। उनका नाम मुख्य मेरिट सूची का हिस्सा नहीं था और उनकी नियुक्ति मुख्य सूची के उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण उत्पन्न रिक्ति पर निर्भर थी। यह प्रशासनिक आकस्मिकता इस बात की पुष्टि करती है कि याचिकाकर्ता मूल रूप से नियम 12(1)(a) के तहत अभिप्रेत अर्थ में "अनुशंसित" नहीं थे, बल्कि बाद में रिक्ति होने के कारण उनकी अनुशंसा की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा उच्च अंकों के आधार पर वरिष्ठता का दावा करने का प्रयास इस बात पर विचार करने में विफल रहता है कि अंकों का मूल्यांकन उम्मीदवार की संबंधित श्रेणी के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना स्पष्ट आरक्षण मानदंडों, शिथिल कट–ऑफ और श्रेणीवार मेरिट निर्धारण के कारण सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से सीधे नहीं की जा सकती। यह सुस्थापित है कि वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए ऐसी अंतर–श्रेणी तुलनाएं अस्वीकार्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह न्यायालय विलंब के संबंध में उत्तरवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति में भी सार पाता है। याचिकाकर्ता को 1995 में नियुक्त किया गया था। पदक्रम सूची, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 3 को वरिष्ठ दर्शाया गया था, 1998 में ही प्रकाशित कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने पहली बार केवल 2011 में, लगभग 16 वर्ष बाद अभ्यावेदन दिया, और वर्तमान रिट याचिका केवल 2018 में प्रस्तुत की। उस समय तक, उत्तरवादी क्रमांक 3 पहले ही पदोन्नति प्राप्त कर चुका था और उच्च पदों पर सेवा दे रहा था।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अमृत लाल बेरी बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, नई दिल्ली व अन्य [(1975) 4 एस सी सी 71] में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "17. उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने रवींद्र नाथ बोस बनाम भारत संघ [(1970) 1 एस सी सी 84 : (1970) 2 एस सी आर 697] का अवलंब लिया है, जहाँ उन व्यक्तियों के अधिकारों में बाधा उत्पन्न होगी जिन्हें लंबे समय से कथित रूप से अवैध वरिष्ठता नियमों का लाभ मिला था, इस न्यायालय ने उपचार प्राप्त करने में अत्यधिक विलंब के आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका को खारिज कर दिया था। इस न्यायालय ने वहां (पृष्ठ 712 पर) कहा:
>
> [एस सी सी पृष्ठ 97, कंडिका 32, 33]
>
> 'यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 32 स्वयं में एक गारंटीकृत अधिकार है। ऐसा ही है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि यह न्यायालय सभी सिद्धांतों को त्याग दे और अत्यधिक विलंब के बाद प्रस्तुत याचिकाओं में उपचार प्रदान करे।'"
>
> "हम इस आधार पर याचिकाओं को खारिज करने के लिए उत्सुक नहीं हैं, परंतु हमें विधि के अनुसार तथा साम्या न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के अनुरूप न्याय प्रशासन करना चाहिए। उत्तरवादीगण को उन अधिकारों से वंचित करना अन्यायपूर्ण होगा जो उन्हें उद्भूत हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए आश्वस्त होने का हकदार होना चाहिए कि बहुत समय पहले की गई उसकी नियुक्ति और पदोन्नति को कई वर्षों के बीत जाने के बाद अपास्त नहीं किया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. शिबा शंकर महापात्र व अन्य बनाम उड़ीसा राज्य व अन्य [(2010) 12 एस सी सी 471] में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "18. विलंबित अवस्था में दायर, लंबे समय से चली आ रही वरिष्ठता को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करने का प्रश्न अब 'रेज़ इंटेग्रा' (अनिर्णीत) नहीं रह गया है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने, रामचंद्र शंकर देवधर बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1974) 1 एस सी सी 317 : 1974 एस सी सी (एल एंड एस) 137] में पदोन्नति और वरिष्ठता सूची को चुनौती देने में विलंब के प्रभाव पर विचार किया और अवधारित

किया कि विलंबित अवस्था में वरिष्ठता के किसी भी दावे को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह अन्य व्यक्तियों के वरिष्टता , पद और पदोन्नति से संबंधित उन निहित अधिकारों को बाधित करने का प्रयास करता है जो उन्हें मध्यवर्ती अवधि के दौरान प्राप्त हुए हैं। किसी पक्षकार को शिकायत का आधार उत्पन्न होने के तुरंत बाद न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। उक्त प्रकरण का निर्णय करते समय, इस न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों, विशेष रूप से तिलोकचंद मोतीचंद बनाम एच.बी. मुंशी [(1969) 1 एस सी सी 110] का अवलंब लिया है। , जिसमें यह अवधारित किया गया है कि शिथिलता या विलंब के आधार पर याचिकाकर्ता को अनुतोष देने से इनकार करने का सिद्धांत यह है कि, रिट याचिका प्रस्तुत करने में विलंब के कारण दूसरों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन्हें तब तक बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि विलंब का कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण न हो। न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अवधारित किया: (तिलोकचंद मामला, एस सी सी पृ. 115, कंडिका 7)

'7. ... मौलिक अधिकारों का दावा करने वाले पक्षकार को अन्य अधिकारों के अस्तित्व में आने से पहले न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। न्यायालयों की कार्रवाई से निर्दोष पक्षकारों को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए यदि उनके अधिकार न्यायालय की शरण लेने वाले व्यक्ति की ओर से हुई देरी के कारण उत्पन्न हुए हैं।'

19.इस न्यायालय ने रामचंद्र शंकर देवधर प्रकरण [(1974) 1 एस सी सी 317] में अपनी संविधान पीठ के पूर्ववर्ती निर्णय रविंद्रनाथ बोस बनाम भारत संघ [(1970) 1 एस सी सी 84] का अवलंब लिया है, जिसमें निम्नानुसार अवधारित किया गया है: (रविंद्रनाथ बोस मामला, एस सी सी पृ. 97, कंडिका 33)

'33. ... उत्तरवादीगण को उनके प्राप्त अधिकारों से वंचित करना अन्यायपूर्ण होगा। प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए आश्वस्त होने का हकदार होना चाहिए कि बहुत समय पहले की गई उसकी नियुक्ति और पदोन्नति को कई वर्षों के बीत जाने के बाद अपास्त नहीं किया जाएगा।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20.आर.एस. मकाशी बनाम आई.एम. मेनन [(1982) 1 एस सी सी 379 : 1982 एस सी सी (एल एंड एस) 77] में इस न्यायालय ने कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता के संबंध में रिट याचिका प्रस्तुत करने में परिसीमा, विलंब और शिथिलता के सभी पहलुओं पर विचार किया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम भाईलाल भाई [एआईआर 1964 एससी 1006] में अपने पूर्ववर्ती निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि विधायिका द्वारा निर्धारित वह अधिकतम अवधि जिसके भीतर किसी दीवानी न्यायालय में वाद के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जाना चाहिए, उसे सामान्यतः एक उचित मानक माना जा सकता है जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार प्राप्त करने में हुए विलंब को मापा जा सकता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया: (आर.एस. मकाशी मामला, एस सी सी पृ. 398–400, कंडिका 28 और 30)

'28. ... '33. ... हमें विधि के अनुसार तथा साम्या, न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के अनुरूप न्याय प्रशासन करना चाहिए। उत्तरवादीगण को उन अधिकारों से वंचित करना अन्यायपूर्ण होगा जो उन्हें प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए आश्वस्त होने का हकदार होना चाहिए कि बहुत समय पहले की गई उसकी नियुक्ति और पदोन्नति को कई वर्षों के बीत जाने के बाद अपास्त नहीं किया जाएगा...।'

[जैसा कि रविंद्रनाथ बोस बनाम भारत संघ, (1970) 1 एस सी सी 84, पृ. 97, कंडिका 33 में अवधारित किया गया है।]

30. ... याचिकाकर्ताओं ने 1968 के सरकारी संकल्प में निर्धारित वरिष्ठता सिद्धांतों को चुनौती देने के लिए न्यायालय की शरण लेने में हुए अत्यधिक विलंब का कोई भी वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। ... तदनुसार, हम यह अवधारित करेंगे कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 22–3–1968 के सरकारी संकल्प में निर्धारित वरिष्ठता सिद्धांतों के विरुद्ध उठाई गई चुनौती को उच्च न्यायालय द्वारा विलंब और शिथिलता के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था और रिट याचिका, जहाँ तक उक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सरकारी संकल्प को रद्द करने की प्रार्थना से संबंधित थी, खारिज कर दी जानी चाहिए थी।'"

21. लंबे समय से अस्तित्व में रही वरिष्ठता सूची को चुनौती देने के विषय पर इस न्यायालय द्वारा पुनः के.आर. मुद्गल बनाम आर.पी. सिंह [(1986) 4 एस सी सी 531 : 1987 एस सी सी (एल एंड एस) 6: एआईआर 1986 एससी 2086] में विचार किया गया था। न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया: (एस सी सी पृ. 532 और 536, कंडिका 2 और 7)

> "2. ... किसी भी पद पर नियुक्त सरकारी सेवक को सामान्यतः अपनी नियुक्ति के 3 या 4 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद से जुड़े कर्तव्यों का पालन शांतिपूर्वक और बिना किसी असुरक्षा की भावना के करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ...
>
> ****
>
> 7. ... संतोषजनक सेवा शर्तें यह मांग करती हैं कि सरकारी सेवकों के बीच कई वर्षों के बाद प्रस्तुत की गई रिट याचिकाओं के कारण, जैसा कि इस प्रकरण में है, अनिश्चितता की कोई भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि जो कोई भी उसे आवंटित वरिष्ठता से व्यथित महसूस करता है, उसे यथाशीघ्र न्यायालय की शरण लेनी चाहिए, अन्यथा सरकारी सेवकों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होने के साथ–साथ प्रशासनिक जटिलताएं और कठिनाइयां भी उत्पन्न होंगी। ... इन परिस्थितियों में हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने शिथिलता के आधार पर रिट याचिका के उत्तरवादीगण की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करके गलती की है।"

(बल दिया गया)

22. के.आर. मुद्गल प्रकरण का निर्णय करते समय, इस न्यायालय ने मैल्कम लॉरेंस सेसिल डी'सूजा बनाम भारत संघ [(1976) 1 एस सी सी 599 : 1976 एस सी सी (एल एंड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एस) 115 : एआईआर 1975 एससी 1269] में अपने पूर्ववर्ती निर्णय अवलंब लिया है, जिसमें निम्नानुसार अवधारित किया गया था: (सेसिल डी'सूजा मामला, एस सी सी पृ. 602, कंडिका 9)

"9. यद्यपि सेवा की सुरक्षा का उपयोग किसी सार्वजनिक सेवक की चूक के लिए प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता है, फिर भी सार्वजनिक सेवाओं में संतोष और दक्षता की आवश्यक आवश्यकताओं में से एक सुरक्षा की भावना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी सुरक्षा को उसके सभी विविध पहलुओं में गारंटी देना कठिन है, किंतु कम से कम यह सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए कि वरिष्ठता सूची में किसी व्यक्ति की स्थिति जैसे मामले, एक बार तय हो जाने के बाद, कई वर्षों के बीत जाने पर उस पक्ष के आग्रह पर पुनः नहीं खोले जाने चाहिए जिसने मध्यवर्ती अवधि के दौरान मौन रहना चुना है। लंबे समय के बाद वरिष्ठता जैसे पुराने मामलों को कुरेदने से प्रशासनिक जटिलताएं और कठिनाइयां पैदा होने की संभावना होती है। इसलिए, सेवा की सुगमता और दक्षता के हित में यह प्रतीत होता है कि ऐसे मामलों को कुछ समय बीत जाने के बाद पूर्ण विराम दे दिया जाना चाहिए।"

(बल दिया गया)

23. बी.एस. बाजवा बनाम पंजाब राज्य [(1998) 2 एस सी सी 523 : 1998 एस सी सी (एल एंड एस) 611] में इस न्यायालय ने इसी तरह के विषय का निर्णय करते समय वही विचार दोहराया और निम्नानुसार अवधारित किया: (एस सी सी पृ. 526, कंडिका 7)

"7. ... यह सुस्थापित है कि सेवा के मामलों में वरिष्ठता के प्रश्न को ऐसी स्थितियों में एक उचित अवधि बीत जाने के बाद पुनः नहीं खोला जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप स्थापित स्थिति बाधित होती है जो कि न्यायसंगत नहीं है। वर्तमान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकरण में ऐसी परिवेदना करने में अत्यधिक विलंब हुआ था। अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप से इनकार करने और रिट याचिका को खारिज करने के लिए केवल यही आधार पर्याप्त था।"

(बल दिया गया)

24. दयाराम ए. गुरसहानी बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1984) 3 एस सी सी 36 : 1984 एस सी सी (एल एंड एस) 341] में इसी तरह के विचार को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने अवधारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती देने में 8–9 वर्षों के अत्यधिक विलंब के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में, अन्य कर्मचारी को आवंटित वरिष्ठता और पदोन्नति की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. **पी.एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य [(1975) 1** एस सी सी **152 : 1975** एस सी सी (एल एंड एस) **22]** में इस न्यायालय ने उस प्रकरण पर विचार किया जहाँ पदोन्नति को चुनौती देते हुए चौदह वर्ष बीत जाने के बाद याचिका प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, इस न्यायालय ने अवधारित किया कि व्यथित व्यक्ति को उपचार के लिए शीघ्रता से न्यायालय की शरण लेनी चाहिए और कालातीत दावे पेश करना अनुज्ञेय नहीं है। न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया: (एस सी सी पृ. 154, कंडिका 2)

"2. ... अपने से कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत करने वाले आदेश से व्यथित व्यक्ति को ऐसी पदोन्नति के कम से कम छह महीने या अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर न्यायालय की शरण लेनी चाहिए।" न्यायालय ने आगे यह अवधारित किया कि ऐसा नहीं था कि न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु परिसीमा की कोई अवधि थी, और न ही ऐसा था कि ऐसा कोई मामला कभी नहीं हो सकता जहाँ न्यायालय एक निश्चित समय के बाद किसी प्रकरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। "न्यायालयों के लिए अधिकारिता का यह एक सुसंगत और बुद्धिमानी पूर्ण प्रयोग होगा कि वे उन व्यक्तियों के प्रकरण में अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर दें जो उपचार के लिए शीघ्रता से न्यायालय की

शरण नहीं लेते हैं और जो मूकदर्शक बने रहकर चीजों को होने देते हैं और फिर कालातीत दावों को पेश करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और स्थापित मामलों को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं।

26. इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा सुदामा देवी बनाम कमिश्नर [(1983) 2 एस सी सी 1]; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज बहादुर सिंह [(1998) 8 एस सी सी 685 : 1999 एस सी सी (एल एंड एस) 252] और नॉर्दर्न इंडियन ग्लास इंडस्ट्रीज बनाम जसवंत सिंह [(2003) 1 एस सी सी 335] के मामलों में दोहराया गया है।

27. दिनकर अन्ना पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1999) 1 एस सी सी 354 : 1999 एस सी सी (एल एंड एस) 216] में इस न्यायालय ने अवधारित किया कि वरिष्ठता को चुनौती देने में विलंब और शिथिलता सदैव घातक होती है, लेकिन यदि पक्षकार विलंब के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट कर देता है, तो प्रकरण पर विचार किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. के.ए. अब्दुल मजीद बनाम केरल राज्य [(2001) 6 एस सी सी 292 : 2000 एस सी सी (एल एंड एस) 955] में इस न्यायालय ने अवधारित किया कि किसी भी कर्मचारी को आवंटित वरिष्ठता को सात वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति अनियमित थी, भले ही मेरिट के आधार पर यह पाया गया था कि उक्त याचिकाकर्ता की वरिष्ठता सही ढंग से निर्धारित की गई थी।

29. यह सुस्थापित विधि है कि 'तटस्थ रहकर प्रतीक्षा करने वालों' को विवाद के समापन के बाद उसे उठाने या आदेश की वैधता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोई भी पक्षकार अधिकार के रूप में अनुतोष का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि अनुतोष से इनकार करने के आधारों में से एक यह है कि न्यायालय की शरण लेने वाला व्यक्ति विलंब और शिथिलता का दोषी है। सार्वजनिक विधि अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय उन कालातीत दावों को बढ़ावा नहीं देता है जहाँ मध्यवर्ती काल में तीसरे पक्ष के अधिकार सुदृढ़/निश्चित हो जाते हैं। (देखें:

अफ़लातून बनाम दिल्ली के उप–राज्यपाल [(1975) 4 एस सी सी 285 : एआईआर 1974 एससी 2077]; मैसूर राज्य बनाम वी.के. कंगन [(1976) 2 एस सी सी 895 : एआईआर 1975 एससी 2190]; नगर परिषद, अहमदनगर बनाम शाह हैदर बेग [(2000) 2 एस सी सी 48]; इंदर जीत गुप्ता बनाम भारत संघ [(2001) 6 एस सी सी 637 : 2001 एस सी सी (एल एंड एस) 1083]; शिव दास बनाम भारत संघ [(2007) 9 एस सी सी 274 : (2007) 2 एस सी सी (एल एंड एस) 395]; ए.पी. एस.आर.टी.सी. बनाम एन. सत्यनारायण [(2008) 1 एस सी सी 210 : (2008) 1 एस सी सी (एल एंड एस) 161] और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम दोसू आरदेशिर भिवांडीवाला [(2009) 1 एस सी सी 168])।

30. अतः, उपरोक्त के आलोक में, जो स्थापित विधिक सिद्धांत उभर कर आता है वह यह है कि एक बार वरिष्ठता निर्धारित हो जाने के बाद और एक उचित अवधि तक अस्तित्व में रहने के बाद, उसे दी गई किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। के.आर. मुद्गल के प्रकरण में, इस न्यायालय ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह निर्धारित किया है कि 3 से 4 वर्षों तक निर्बाध रूप से अस्तित्व में रहने वाली वरिष्ठता सूची को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, वरिष्ठता को चुनौती देने के लिए 3–4 वर्ष एक उचित अवधि है और यदि कोई इस अवधि के बाद वरिष्ठता के विषय पर विवाद करता है, तो उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके न्यायनिर्णयन मंच के समक्ष आने में हुए विलंब और शिथिलता को स्पष्ट करना होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैल्कम लॉरेंस सेसिल डी'सूजा बनाम भारत संघ [(1976) 1 एस सी सी 599] में निम्नानुसार अवधारित किया है:

"8. इस प्रकरण को एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। उत्तरवादीगण 4 से 26 के सापेक्ष याचिकाकर्ता की वरिष्ठता वर्ष 1956 में 1952 के नियमों के अनुसार निर्धारित की गई थी। उक्त वरिष्ठता को 1958 में जारी वरिष्ठता सूची में दोहराया गया था। वर्तमान रिट याचिका 1971 में प्रस्तुत की गई थी। हमारे विचार में, याचिकाकर्ता को इतने वर्षों के बीत जाने के बाद वरिष्ठता सूची को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तथ्य यह है कि कर्णिक प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1971 में एक वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जो याचिकाकर्ता को उत्तरवादीगण 4 से 26 के सापेक्ष अपनी वरिष्ठता के

निर्धारण को चुनौती देने का कोई नया अधिकार प्रदान नहीं करेगी क्योंकि 1971 की वरिष्ठता सूची केवल उन उत्तरवादीगण के सापेक्ष याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को प्रतिबिंबित करती थी जो पहले ही 1956 में निर्धारित की जा चुकी थी। संतोषजनक सेवा शर्तें यह मांग करती हैं कि 14 या 15 वर्षों के अंतराल के बाद किए गए कालातीत दावों के कारण सार्वजनिक सेवकों के बीच अनिश्चितता की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि वरिष्ठता को प्रभावित करने वाले किसी प्रशासनिक निर्णय से व्यथित व्यक्ति को उचित तत्परता और शीघ्रता के साथ कार्य करना चाहिए न कि प्रकरण पर सोए रहना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा हमारे समक्ष न्यायालय की शरण लेने में हुए अत्यधिक विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने 1956 और 1958 में जारी वरिष्ठता सूची के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उस अभ्यावेदन को 1961 में खारिज कर दिया गया था। ऐसा कोई ठोस आधार नहीं दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता क्यों निष्क्रिय हो गया और उसने उपचार प्राप्त करने के लिए कोई तत्पर कदम क्यों नहीं उठाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इसके अतिरिक्त, विजय कुमार कौल बनाम भारत संघ [(2012) 7 एस सी सी 610] में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

"23. यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि वरिष्ठता का दावा एक युक्तिसंगत समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, हम इस न्यायालय के पी.एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य [(1975) 1 एस सी सी 152] के निर्णय का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार अवधारित किया है: (एस सी सी पृ. 154, कंडिका 2)

'2. ... ऐसा नहीं है कि न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु परिसीमा की कोई अवधि निर्धारित है, और न ही ऐसा है कि ऐसा कोई मामला कभी नहीं हो सकता जहाँ न्यायालय एक निश्चित समय बीत जाने के बाद किसी प्रकरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परंतु न्यायालयों के लिए विवेक का यह एक सुसंगत और बुद्धिमानी पूर्ण प्रयोग होगा कि वे उन व्यक्तियों के प्रकरण में अनुच्छेद

226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर दें जो उपचार के लिए शीघ्रता से न्यायालय की शरण नहीं लेते हैं और जो मूकदर्शक बने रहकर चीजों को होने देते हैं और फिर कालातीत दावों को पेश करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और स्थापित मामलों को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं।'

24. कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम के. थंगप्पन [(2006) 4 एस सी सी 322] में इस न्यायालय ने अवधारित किया कि: (एस सी सी पृ. 325, कंडिका 6)

'6. विलंब या शिथिलता उन कारकों में से एक है जिसे उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए। किसी उचित प्रकरण में उच्च न्यायालय अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है यदि आवेदक की ओर से अपने अधिकार का दावा करने में ऐसी लापरवाही या लोप हुआ है, जिसे समय बीतने और अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखने पर विपक्षी पक्ष को प्रतिकूल प्रभाव पहुँचता है। यहाँ तक कि जहाँ मौलिक अधिकार शामिल हो, वहाँ भी मामला न्यायालय के विवेक के भीतर ही रहता है जैसा कि दुर्गा प्रसाद बनाम कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स [(1969) 1 एस सी सी 185] में इंगित किया गया है। निश्चित रूप से, विवेक का प्रयोग न्यायिक और युक्तिसंगत रूप से किया जाना चाहिए।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम दोसू आरदेशिर भिवांडीवाला [(2009) 1 एस सी सी 168] में इस न्यायालय की राय थी कि: (एस सी सी पृ. 174, कंडिका 26)

"26. ... अनुतोष से इनकार करने के आधारों में से एक यह है कि उच्च न्यायालय की शरण लेने वाला व्यक्ति अस्पष्टीकृत विलंब और शिथिलता का दोषी है। रिट के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक विलंब रिट से इनकार करने का एक पर्याप्त आधार है। सिद्धांत यह है कि सार्वजनिक विधि अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय कालातीत दावों को बढ़ावा देने और उन मामलों को पुनर्जीवित करने को प्रोत्साहित

नहीं करते हैं जहाँ मध्यवर्ती काल में तीसरे पक्ष के अधिकार उद्भूत हो चुके हों।'

26. उपरोक्त विधि–प्रतिपादन से यह सुस्पष्ट है कि एक मुकदमेबाज जो वरिष्ठता का दावा करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करता है, उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह जल्द से जल्द या कम से कम एक युक्तिसंगत समयावधि के भीतर न्यायालय आए। विलंबित दृष्टिकोण अस्वीकार्य है क्योंकि इस बीच तीसरे पक्ष के हित परिपक्व हो जाते हैं और अत्यधिक विलंब के बाद हस्तक्षेप से अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है।

27. मध्यवर्ती काल के दौरान किए गए कार्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन्हें आसानी से दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। याचिका को स्वीकार करने या विलंब और शिथिलता के आधार पर इसे अस्वीकार करने में न्याय या अन्याय के संतुलन पर विचार करना एक दायित्व बन जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि समय बीतने के साथ एक समय पर किसी के पक्ष में मौजूद साम्या पूर्णतः महत्वहीन हो जाती है और विलुप्ति की ओर मार्ग प्रशस्त करती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अतः उपरोक्त घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि वरिष्ठता से संबंधित दावों को शीघ्रता से उठाया जाना चाहिए। विलंब 'साम्या' को विफल कर देता है, विशेष रूप से सेवा संबंधी मामलों में जहाँ दूसरों के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

20. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती वह यह है कि याचिकाकर्ता ने चयनात्मक रूप से केवल उत्तरवादी क्रमांक 3 को पक्षकार बनाया है। हालांकि, चयन सूची से यह स्पष्ट है कि कई अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी थे जिन्हें उसी मुख्य सूची के माध्यम से नियुक्त किया गया था और वे भी संशोधित वरिष्ठता के दावे से प्रभावित हो सकते थे। उन्हें पक्षकार न बनाना आवश्यक पक्षकारों के अ–संयोजन के कारण याचिका को दोषपूर्ण बनाता है। संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी पक्षों को सुने बिना वरिष्ठता को प्रभावित करने वाला अनुतोष एकांत में प्रदान नहीं किया जा सकता है।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय ने लोक सेवा आयोग बनाम ममता बिष्ट [(2010) 12 एस सी सी 204] में निम्नानुसार अवधारित किया है:

"10. प्रबोध वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1984) 4 एस सी सी 251] और त्रिदीप कुमार डिंगल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(2009) 1 एस सी सी 768] में यह अवधारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति चयन प्रक्रिया को चुनौती देता है, तो सफल उम्मीदवार या उनमें से कम से कम कुछ आवश्यक पक्षकार होते हैं।"

22. इन्दु शेखर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2006) 8 एस सी सी 129 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

"22. वरिष्टता , जैसा कि सुस्थापित है, मौलिक अधिकार नहीं है। यह केवल एक सिविल अधिकार है। (देखें: विमलेश तंवर बनाम हरियाणा राज्य [(2003) 5 एस सी सी 604 : 2003 एस सी सी (एल एंड एस) 737], एस सी सी कंडिका 49 और प्रफुल्ल कुमार दास बनाम उड़ीसा राज्य [(2003) 11 एस सी सी 614 : 2004 एस सी सी (एल एंड एस) 121]।)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. सेवा न्यायशास्त्र में यह एक सुस्थापित प्रतिस्थापना है कि वरिष्ठता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तथापि, सार्वजनिक सेवा में नियोजन के नियमों और शर्तों को शासित करने वाले वैधानिक नियमों, प्रशासनिक निर्देशों या सेवा विनियमों से उत्पन्न वरिष्ठता एक सिविल अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है। यद्यपि वरिष्ठता से इनकार या उसका निर्धारण स्वतः ही अनुच्छेद 14 या 16 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आह्वान नहीं करता है, फिर भी वरिष्ठता के परिवर्तन, पुनर्निर्धारण या पुनरीक्षण से संबंधित किसी भी कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के अनुरूप होना चाहिए। जब भी किसी कर्मचारी की वरिष्ठता की स्थिति को चुनौती देने वाला कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, विशेष रूप से वह जो किसी मौजूदा पदक्रम सूची को अस्थिर करने का प्रयास करता है, तो यह अनिवार्य है कि ऐसे अभ्यावेदन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को कार्यवाही में आवश्यक और उचित पक्षकार माना जाए। सक्षम प्राधिकारी, यहाँ तक कि प्रशासनिक निर्णय लेने के क्षेत्र में भी, उन व्यक्तियों को नोटिस जारी करने और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है जिनकी वरिष्ठता प्रस्तावित पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप प्रभावित हो सकती है। ऐसा करने में विफलता 'ऑडी अल्टरम पार्टम' (दूसरे पक्ष को भी सुना जाए), जो कि प्राकृतिक न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है, का स्पष्ट उल्लंघन है। एक पदक्रम सूची या वरिष्ठता सूची, एक बार अंतिम रूप दिए जाने और उस पर कार्रवाई होने के बाद, अंतिमता की एक डिग्री प्राप्त कर लेती है और इसे

लापरवाही से या एकतरफा रूप से अस्थिर नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के अहित में जिन्हें विरोध करने या उत्तर देने का अवसर नहीं दिया गया था। प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार बनाए बिना या उन्हें सुने बिना सिविल सेवकों की पारस्परिक वरिष्ठता को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रशासनिक या न्यायिक आदेश, मूल दावे के गुणों पर विचार किए बिना, प्रक्रियात्मक अनुचितता और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त, सेवा विधि में, वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण नियम, 1961 के नियम 12(1)(a) जैसे लागू सेवा नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, और कोई भी कार्यकारी प्राधिकारी केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर वैधानिक सुरक्षा उपायों या उचित प्रक्रिया की उपेक्षा नहीं कर सकता है। तदनुसार, प्रभावित कर्मचारियों को नोटिस दिए बिना, उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दिए बिना और उनके निवेदनों पर विधिवत विचार किए बिना स्थापित वरिष्ठता की स्थिति में कोई भी हस्तक्षेप या पदक्रम सूची में परिवर्तन, कार्रवाई को विधिक रूप से अपोषणीय और दूषित बना देगा।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. नियम, 1961 के नियम 12 के अनुसार, सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उस मेरिट क्रम के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें भर्ती प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की गई है। चयन सूची उन उम्मीदवारों की सूची का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर नियुक्ति के लिए औपचारिक रूप से अनुशंसा की गई है। नियुक्ति आदेश सामान्यतः इस चयन सूची में परिलक्षित मेरिट क्रम के अनुसार जारी किए जाते हैं। इसके विपरीत, पूरक सूची या प्रतीक्षा सूची में वे उम्मीदवार शामिल होते हैं, जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बावजूद, रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अपनी संबंधित श्रेणियों के भीतर मेरिट में उनके निचले स्थान के कारण शुरू में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था। प्रतीक्षा सूची में किसी उम्मीदवार के नाम का समावेश आकस्मिक और सशर्त होता है, और यह अपने आप में नियुक्ति का कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करता है। ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए केवल उसी स्थिति में विचार किया जाता है जब चयन सूची का कोई उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है या बाद में कार्यभार ग्रहण न करने, त्यागपत्र या किसी अन्य वैध प्रशासनिक कारण से रिक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए, पूरक या प्रतीक्षा सूची से नियुक्त व्यक्ति मूल चयन सूची से नियुक्त उम्मीदवार के साथ समानता या तुल्यता का दावा नहीं कर सकता है, विशेष रूप से वरिष्ठता के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए। प्रतीक्षा सूची की प्रकृति ही चयन सूची के अधीनस्थ और आनुषंगिक है और इसका संचालन अत्यावश्यकता एवं रिक्ति के सिद्धांत द्वारा सीमित है। परिणामस्वरूप, किसी प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार द्वारा मुख्य सूची से नियुक्त

उम्मीदवार के ऊपर वरिष्ठता का कोई भी दावा विधिक रूप से अपोषणीय है, जब तक कि लागू सेवा नियम या भर्ती अधिसूचना स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न करती हो।

25. वह अभ्यर्थी जिसका नाम प्रतीक्षा सूची (पूरक सूची) में अंकित है और जिसे बाद में मुख्य चयन सूची के किसी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने या निरर्हता के कारण नियुक्त किया गया है, उसे उन लोगों के समकक्ष नहीं माना जा सकता जिन्हें प्रथम दृष्टया औपचारिक रूप से अनुशंसित किया गया था और नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था। ऐसी नियुक्तियों को शासित करने वाला सिद्धांत यह है कि प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, न कि चयन प्रक्रिया से उत्पन्न किसी अधिकार के कारण। तदनुसार, प्रतीक्षा सूची से नियुक्त अभ्यर्थी को मुख्य चयन सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों के नीचे समग्र रूप से रखा जाना चाहिए, चाहे वे अभ्यर्थी किसी भी श्रेणी के क्यों न हों। प्रतीक्षा सूची से नियुक्त व्यक्ति अंकों या श्रेणी के आधार पर मुख्य सूची के अभ्यर्थियों के ऊपर या उनके बीच स्थान पाने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वरिष्ठता हेतु विचार किए जाने का अधिकार केवल औपचारिक चयन और चयन सूची में की गई अनुशंसा से उत्पन्न होता है, न कि केवल परीक्षा में प्रदर्शन से। इसके अतिरिक्त, नियम 1961 का नियम 12(1)(a), जो यह प्रावधान करता है कि वरिष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर ध्यान दिए बिना उस मेरिट क्रम के आधार पर किया जाएगा जिसमें अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है, केवल उन अभ्यर्थियों पर लागू होता है जिन्हें मुख्य चयन सूची में शामिल किया गया था। यह नियम प्रतीक्षा सूची से नियुक्त अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनकी नियुक्ति हेतु प्रारंभ में अनुशंसा नहीं की गई थी, बल्कि बाद में आकस्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत उन पर विचार किया गया था। अतः, विधिक और प्रशासनिक औचित्य के संदर्भ में, प्रतीक्षा सूची से नियुक्त अभ्यर्थी को मूल चयन सूची में शामिल अंतिम अभ्यर्थी के नीचे रखा जाना चाहिए, चाहे अभ्यर्थियों के सापेक्ष अंक या श्रेणियाँ कुछ भी हों। इसके विपरीत धारणा रखना स्थापित वरिष्ठता संरचना को अस्थिर करने के समान होगा और श्रेणीवार मेरिट–आधारित चयन सूची बनाए रखने के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

26. यद्यपि दिनांक 11.09.2018 का आक्षेपित आदेश संक्षिप्त है और दिनांक 28.03.2017 के पूर्ववर्ती सकारण आदेश का संदर्भ देता है, फिर भी इसे स्वतः अवैध या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। यह एक पूर्व तर्कसंगत निर्णय की पुष्टि करता है जिसने पहले ही याचिकाकर्ता के दावों पर विचार किया था और उन्हें अपोषणी पाया था। यह सुस्थापित विधि है

कि यदि कोई नई सामग्री परिणाम को नहीं बदलती है, तो प्रशासनिक आदेश पिछले विस्तृत निर्णयों का अवलंब ले सकते हैं।

27. उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में कोई सार नहीं पाता है। याचिकाकर्ता का चयन सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची से हुआ था, और उसकी नियुक्ति अनुसूचित जनजाति श्रेणी की मुख्य सूची से चयनित उत्तरवादी क्रमांक 3 के एक वर्ष से अधिक समय बाद हुई थी। दोनों अभ्यर्थियों का चयन, अनुशंसा और पश्चातवर्ती नियुक्ति अलग–अलग श्रेणियों के अंतर्गत, अंतः–श्रेणी मेरिट के आधार पर की गई थी। अतः वरिष्ठता निर्धारण के प्रयोजन के लिए अंकों की कोई अंतर–श्रेणी तुलना नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नियम 12(1)(a) की व्याख्या गलत धारणा पर आधारित है और विधि द्वारा समर्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह दावा अत्यधिक एवं अस्पष्टीकृत विलंब से ग्रस्त है, और आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण और भी दूषित है। याचिकाकर्ता आक्षेपित आदेश दिनांक 11.09.2018 में किसी भी अवैधता या मनमानेपन को सिद्ध करने में विफल रहा है।

28. तदनुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।